14/7/2011

राजस्थान सरकार
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्रमांक : प. 5 (1) पीएचई / 2010–पार्ट–प्रथम जयपुर, दिनांक

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 628 / 2004 में दिनांक 20.01.2006 एवं डी. बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4754 / 10 के निर्णय दिनांक 28.03.2011 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थान पर नये नलकूप / बोरवैल / भूजल दोहन के अन्य यूनिट का निर्माण सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करवाया जायेगा।

राज्य सरकार संबधित जिला कलक्टर को उस जिले के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सक्षम अधिकारी निर्धारित मापदण्डों एवं उपलब्ध भूजल पर नये निर्माण से भूजल के दोहन से क्षेत्र मे उत्पन्न जल उपलब्धता स्थिति के आंकलन के आधार पर अनुमति प्रदान करेगे।

आज्ञा से,

ह०

शासन उप सचिव द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री ,जन स्वा. अभियन्त्रिकी विभाग एवं भू–जल विभाग।।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य एवं भू–जल विभाग ।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय / ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
6. मुख्य अभियन्ता, भू–जल विभाग, जोधपुर ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (डीआईपीएम), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
8. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव द्वितीय

S. E. (S) | S. E (P.C) | Ex. En.(C | C.A.O | 86 | 321 | 18/2/11 | Planning | Estt. | T.A.-I | T.A.-II

1817